न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 80/2022 (2022/323)

1. रामेश्वर लाल पुत्र स्व श्रीलाल पालीवाल (ब्रहम्ण) निवासी धून्धरी तहसील केकड़ी जिला अजमेर

---प्रार्थी

♠ बनाम ♠

1. अयोध्या देवी पुत्री स्व. श्रीलाल पत्नि मोहनलाल जाति पालीवाल (ब्राहम्ण) निवासी धून्धरी तहसील केकड़ी जिला अजमेर हाल मु. जालिया तृतीय तहसील बिजयनगर जिला भीलवाडा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी
3. उपपंजीयक तहसील कार्यालय केकड़ी

--- प्रतिप्रार्थीगण

4. जगदीश पुत्र स्व. श्रीलाल पत्नि मोहनलाल जाति पालीवाल (ब्राहम्ण) निवासी धून्धरी तहसील केकड़ी जिला अजमेर राज.

उपस्थितः–

1. श्री अशोक पालीवाल– अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री रामप्रसाद कुमावत – अधिवक्ता प्रतिप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम</u>

<u>–:: निर्णय ::–</u>

दिनांक 12/12/2023

प्रार्थी ने एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि निम्नलिखित आराजीयात वाके ग्राम धून्धरी तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

खाता संख्या नया–पुराना	खसरा संख्या	रकबा	किस्म
563–607	2445 2608 2609	0.92 0.52 0.03	चाही–1 चाही–1 गै.मु.चाह
किता – 3		कुल रकबा 1.47 हैक्ट	

उक्त वाद वर्णित आराजीयात प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1, प्रफोर्मा अप्रार्थी के पिता श्रीलाल पुत्र देवीलाल जाति पालीवाल ब्राहम्ण के स्वामित्व आधिपत्य की पुश्तेनी आराजीयात थी। अप्रार्थी सं. 1 के ससुराल में विवाद हो जाने के कारण वो अपने पीहर में निवास कर रही थी तो प्रार्थीगण के पिता ने अपनी पुत्री की स्थिति को देखकर प्रार्थी व प्रफोर्मा अप्रार्थी की सहमति लेकर नामान्तरण संख्या 797 दिनांक 17.06.2010 से इस शर्त पर अप्रार्थी सं 1 का नाम उसके गुजर बसर हेतु वाद वर्णित आराजीयात की जमाबंदी में नाम इन्द्राज करवा दिया कि जब अप्रार्थी संख्या 1 के ससुराल में वापस पति–पत्नि का सम्बन्ध कायम जो जाने पर मेरी व आप लोगो की सहमति से वापस अपना नाम जमाबन्दी से हटाने हेतु सहमत रहेगी तथा उक्त वाद वर्णित आराजीयात के ख.नं. 2609 पर कुंआ इन्द्राज हो रखा है, उक्त कुए से पीलाई हेतु प्रार्थी व प्रफोर्मा अप्रार्थी पास में स्थित अपनी आराजीयात को पिलाने हेतु सहमत रहेंगे व प्रफोर्मा अप्रार्थी सं. 1 कभी भी उक्त आराजीयात को रहन, बैचान, व हस्तांतरण नही करने हेतु भी प्रतिबन्ध रहेगी। कुछ साल बाद अप्रार्थी सं. 1 अपने ससुराल में सही तरीके से

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

रहने लग गई एवं वर्तमान में अने ससुराल में निवास कर रही है, इसी दौरान प्रार्थीगण के पिता की मृत्यु हो गयी है। प्रार्थी, अप्रार्थी सं. 1 एवं प्रफोर्मा अप्रार्थी का परिवारिक सजरा निम्नानुसार है–

श्रीलाल पुत्र देवीलाल

अयोध्या देवी | जगदीश प्रसाद | रामेश्वर लाल

उक्त वाद वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण की पुश्तेनी आराजीयात होने के कारण उक्त आराजीयात में प्रार्थी का 1/3 हिस्सा व प्रफोर्मा अप्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 का प्रत्येक का 1/3 व 1/3 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी के अनुसार होता है। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 1 से मौखिक रूप से कहा कि उक्त वाद वर्णित आराजीयात में अपने पिता की सहमति से तुम्हारा नाम इन्द्राज करवा दिया था, अब राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन करवाकर उक्त आराजीयात में प्रत्येक व्यक्ति का 1/3, 1/3 व 1/3 हिस्से का खातेदार के रूप में इन्द्राज करवा लेवे जिससे हम तीनो भाई बहिनो में भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई विवाद नही होवे, तो अप्रार्थी सं. 1 ने कहा कि मैने तो पूर्ण रजाबंदी से उक्त आराजीयात तुम लोगो को सम्भला रखी है तथा तुम लोग आराजीयात पर काश्त करो मैं जब भी चाहूंगी तब उक्त आराजीयात में मेरा नाम हटवा दूंगी व आपका नाम इन्द्राज करवा दूंगी। प्रार्थी व प्रफोर्मा अप्रार्थी उक्त आराजीयात को आज दिवस तक काश्त करते हा रहे है। दिनांक 16.04.2022 को अप्रार्थी सं. 1 की नीयत वद्ध होने से प्रार्थी तथा प्रफोर्मा अप्रार्थी को धमकी दी की तुम उक्त आराजीयात को काश्त नही करोगे तथा में जो भी चाहूंगी व करूंगी, मै उक्त आराजीयात की मालिक होने के कारण किसी भी अन्य दीगर व्यक्ति के हक में चैचान, अन्तरण, हस्तांतरण करने के लिए स्वतंत्र हूं व पुलिस थाना केकड़ी में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। अप्राथी संख्या 1 निरंतर तोर पर उक्त आराजीयात को बैचान करने पर उतारू हो रही है जिसके कारण यह प्रार्थनापत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना लाजमी रहा। अतः प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि अप्रार्थी स्वयं, उसके नोकर, चाकर, मित्रगण व अधीनस्थ कर्मचारी आदि को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि उक्त वाद वर्णित आराजीयात में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व हिस्से में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा किसी भी प्रकार से उक्त आराजीयात को हाकने व काश्त करने में बाधा उत्पन्न नही करे व प्रार्थीगण एवं प्रफोर्मा अप्रार्थीगण का उक्त आराजीयात की 1/3 व 1/3 हिस्से व अप्रार्थी सं. 1 का भी 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी में सहवन से अप्रार्थी सं. 1 का नाम इन्द्राज हो रखा है उसको दुरूस्त किया जाकर प्रार्थीगण का खातेदार काश्तकार के रूप में नाम जोडा जावे व उक्त आराजीयात का विधिवत तरीके से प्रार्थीगण व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 का उक्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार के रूप में नाम इन्द्राज नही होवे तब तक अप्रार्थी सं. 1 द्वारा उक्त अराराजीयात को रहन व बैचान हस्तांतरण नही करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा से सदेव के लिए पाबंद किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रार्थी की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। लिखित बहस के तहत प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों का वर्णन करते हुए दृष्टान्त आईआर 1979 (2) श्रीमति सुकरानी बनाम हरिशंकर, मन्नीराम बनाम पृथ्वीराज वगैरह 2018–2019 (Supp) आर आर टी 618 एवं आत्मा व शम्भूदयाल वगैरह 2019 (1) आर आर टी 419 हाई कोर्ट आदि का विवरण प्रस्तुत कर प्रार्थी के अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थनापत्र को स्वीकार फरमाये जाने का निवेदन किया है। अप्रार्थी संख्या 1 व प्रफोर्मा अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से जवाब पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। **जवाब निम्नानुसार है:–**

प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 1 तथा प्रफोर्मा अप्रार्थी के पिता स्व0 श्रीलाल जी ने अपने जीवनकाल में प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 1 व प्रफोर्मा अप्रार्थी संख्या 4 की सहमति से सम्पूर्ण आराजीयात का बंटवारा करके तीनो के हक में आराजी अलग–अलग बंटवारा कर सम्भला दी थी, उसी हिस्से अनुसार प्रार्थी, अप्रार्थीगण काश्त करते चले आ रहे है। उक्त वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी संख्या 1 के कब्जे स्वामित्व, आधिपत्य की आराजी है जो अप्रार्थीया के पिता ने अपने जीवनकाल में ही बंटवारा करके राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवा कर सम्भला दी थी जिस पर अप्रार्थीया काबिज काश्त है। प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र बिना युक्तियुक्त कारण के हैरान परेशान करने की नीयत से पेश किया है, इस प्रकार उपरोक्त कारणों से प्रार्थनापत्र मय हर्जे खर्चे खारिज होने योग्य है।

आदेश

पत्रावली का अवलोकन किया गया पक्षकारान के लायक अभिभाषकगण की बहस पर गौर किया। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में साबित हो रहे है। आराजीयात का प्रार्थीगण/अप्रार्थीगण के मध्य उनके पिता के जीवनकाल में ही बंटवारा होकर राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में इन्द्राज हो चुका है। प्रार्थी के पक्ष मे प्रथम दृष्टिया प्रकरण और सुविधा का संन्तुलन भी नहीं पाया गया। अतः प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार नहीं है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। यह प्रार्थना पत्र हक अधिकार का अंतिम निधारण नही करता है हक अधिकार का प्रश्न वाद शहादत मूल वाद मे तय होगा खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
ककडी

Scanned with OKEN Scanner